FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

श्री गोतम मीणा–2	**बनाम**	सज्जन कुवंर–6

किस्म मुकदमा निगरानी / अपील / मुकदमा नं. 50 / 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
21.08.2020	वकिल अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 के अधिवक्ता उपस्थित प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या 1 जो कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट थी उसके व चैन कुवंर इस न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 3 व अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा आज एक आवेदन पेश कर अधीनस्थ न्यायालय में पेशशुदा अपील संख्या 01/2015 को विड्रो करने की अनुमति चाही। वकिल अपीलांट द्वारा इस पर अनापत्ति व्यक्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय में अपील संख्या 01/2015 में अपील इस न्यायालय की रेस्पोडेंट सज्जन कुवंर द्वारा अपील पेश की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 25.02.2016 को अपील स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया गया। किसी भी आवेदन या प्रकरण की अपील मूल प्रकरण का विस्तार ही होता है तथा इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की अपीलांट सज्जन कुवंर द्वारा अब इस न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय की अपील संख्या 01/2015 को विड्रो करने की अनुज्ञा चाही है तथा इस प्रकरण में अपीलांट ने भी इस पर अनापत्ति व्यक्त की है। ~~इस न्यायालय के भी इस निर्णय से सहमत है।~~ प्रकरण मूलतः भाई बहनों के पारिवारिक विवाद का है तथा पक्षकारान की सहमति जब अधीनस्थ न्यायालय की अपील को विड्रो कर प्रकरण का नातिक निस्तारण चाहते है, तो न्यायहित में इसकी अनुमति दी जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपील संबंधित अपीलांट द्वारा विड्रो कर लिये जाने के कारण अब अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2015 में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2016 की विधिकता ही नही रहती अतएव उक्त निर्णय अपास्त किया जाता है। न्यायालय हाजा की पत्रावली में अपीलांट को रेस्पोडेंट अधीनस्थ न्यायालय की अपील में पारित निर्णय अब अप्रासंगिक होने से इस अपील की कोई उपादेयता नही रहती। उपरोक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय की अपील संख्या 01/2015 को विड्रो व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.02.2016 को अपास्त करने के आदेश दिये जाकर यह अपील निस्तारण की जाती है। मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।		